चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 11.03.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2).पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री ,सत्यपाल सिंह एवं क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में नाबालिक से दुष्कर्म करने के वाँछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि थाना पहाड़ी निवासी एक वादी द्वारा थाना पहाड़ी पर सूचना दी गयी कि उनकी पुत्री दिनाँक 04/03/26 शाम के समय शौच क्रिया के लिए बाहर खेतो की तरफ गयी थी। उसी समय सुनील पुत्र चुन्ना रैदास पहुंचा और उनकी पुत्री को पीछे से पकड कर दुष्कर्म किया। इस सूचना पर थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 44/26 धारा

127(2),65(1) बीएनएस व ¾ पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा थानाध्यक्ष पहाड़ी को अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आज दिनाँक 11.03.2026 को थाना पहाड़ी पुलिस द्वारा अभियुक्त सुनील उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

1. थानाध्यक्ष पहाड़ी श्री प्रवीण कुमार सिंह
2. का0 बहोरन सिंह

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यपाल सिंह एवं क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष पहाड़ी श्री प्रवीण सिंह व उनकी टीम द्वारा नाबालिक से दुष्कर्म करने के वाँछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि थाना पहाड़ी निवासी एक वादिया द्वारा थाना पहाड़ी पर सूचना दी कि दिनाँक 10/03/2026 को दोपहर लगभग समय 12:00 बजे उनकी पुत्री पिता को खाना देने खेत गई थी। खाना देकर वापस लौट रही थी कि दिलीप कुमार पुत्र राजकुमार द्वारा रास्ते में उनकी पुत्री के साथ छेड़खानी कर खेत में घसीट ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया गया। इस सूचना पर थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 45/26 धारा 65(1) बीएनएस व ¾ पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा थानाध्यक्ष पहाड़ी को अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आज दिनाँक 11.03.2026 को थाना पहाड़ी पुलिस द्वारा अभियुक्त दिलीप उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

1.थानाध्यक्ष पहाड़ी श्री प्रवीण कुमार सिंह

2.का0 बहोरन सिंह

(4). दिनाँक 14.03.2026 व 15.03.2026 को जनपद चित्रकूट के 07 परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित होने वाली उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों की सीधी भर्ती परीक्षा-2025 को सकुशल, निर्विघ्न, निष्पक्षता एवं शुचितापूर्ण सम्पन्न कराए जाने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में अपर जिलाधिकारी वित्त/राजस्व श्री चन्द्रशेखर, परीक्षा नोडल अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यपाल सिंह,उपजिलाधिकारी मऊ श्री ऋषिरमण,उपजिलाधिकारी न्यायिक श्री सौरभ यादव,उपजिलाधिकारी न्यायिक राजापुर श्री राकेश कुमार पाठक, उपजिलाधिकारी न्यायिक मानिकपुर सुश्री पूजा गुप्ता, क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरविन्द वर्मा,क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राज कमल एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली की उपस्थिति में रिजर्व पुलिस लाइन चित्रकूट के कान्हा सभागार में विस्तृत ब्रीफिंग सत्र आयोजित किया गया।

- पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि ड्यूटी में लगे समस्त पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण परीक्षा को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु सतर्क दृष्टि रखेगें तथा विभिन्न परीक्षा केन्द्रों का आकस्मिक भ्रमण करेगें।

■ परीक्षा केन्द्रों पर मुख्य गेट/प्रवेश द्वार पर फिक्सिंग और चेकिंग तथा शान्ति व्यवस्था हेतु पुलिस बल एचएचएमडी (80 प्रति अभ्यार्थियों पर 01 एचएचएमडी सहित तथा प्रत्येक 240 अभ्यार्थियों पर 01 उ0नि0, 01 हे0का0, 02 आरक्षी, 01 म०का०) की नियुक्ति की गयी है।

■ नोडल अधिकारी (पुलिस एवं प्रशासन) आज दिनांक:-11.03.2026 को पुलिस के समस्त कर्मियों एवं कार्यदायी संस्था के केन्द्र पर नियुक्त समस्त कर्मियों, कण्ट्रोल रूम प्रभारी के साथ समस्त तैयारियों की समीक्षा तथा डीब्रीफिंग कर ली जाए।

■ परीक्षा केन्द्रों में नियुक्त सहायक केन्द्र व्यवस्थापक / कक्ष निरीक्षक व सहयोगी कक्ष निरीक्षक एवं अन्य स्टाफ केन्द्र पर तैनाता पुलिस के सभी कर्मी व कार्यदायी संस्था के केन्द्र पर नियुक्त प्रतिनिधि ग्राण्ड रिहर्सल दिनांक-12.03.2026 को किया जायेगा।

■ नोडल अधिकारी पुलिस सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, केन्द्र व्यवस्थापक, केन्द्र प्रभारी पुलिस द्वारा उनके आवंटित केन्द्रों का भ्रमण तथा सभी अधिकारियों के समन्वय की समीक्षा करना सुनिश्चित करेगें।

■ सभी कार्यदायी संस्थाएं अपने लगाये गये सभी कर्मियों के नाम, मोबाइल नम्बर तथा नो रिलेशन सर्टिफिकेट प्राप्त कर 12.03.2026 तक नोडल अधिकारी पुलिस को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

■ सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ पर्याप्त सुरक्षा बल न्यूनतम 02 सशस्त्र आरक्षी तैनात रहेगे।
प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर सीसीटीवी कण्ट्रोल रूम में 01 उ०नि० स्तर के अधिकारी नियुक्त किया गया है।
उ०नि० ना०पु० एवं समकक्ष पदो पर सीधी भर्ती परीक्षा 2025 जनपद चित्रकूट के निर्धारित 07 परीक्षा केन्द्रो 1. चित्रकूट इण्टर कॉलेज पटेल तिराहा कर्वी, चित्रकूट 2.गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेड़ी पुलिया चित्रकूट 3.कृषक इण्टर कॉलेज भौरी रैपुरा चित्रकूट 4.पालेश्वर नाथ इण्टर कॉलेज कस्बा पहाड़ी चित्रकूट 5.राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज एलआईसी तिराहा के पास कर्वी चित्रकूट 6.सेठ राधाकृष्ण पोद्दार इण्टर कॉलेज शंख चौराहा चित्रकूट 7.श्री गंगा प्रसाद जन सेवा इण्टर कॉलेज शंकर बाजार कर्वी चित्रकूट पर परीक्षा को सकुशल, निर्विघ्न, निष्पक्षता एवं शुचितापूर्वक सम्पन्न कराने हेतु चित्रकूट पुलिस कटिबद्ध है।
(5). आज दिनांक 11.03.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह द्वारा दिनांक 14.03.2026 व 15.03.2026 को होने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस सब-इंस्पेक्टर लिखित परीक्षा 2026 को सकुशल, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराए जाने के दृष्टिगत 1. चित्रकूट इण्टर कॉलेज पटेल तिराहा कर्वी, चित्रकूट 2.गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेड़ी पुलिया चित्रकूट 3.कृषक इण्टर कॉलेज भौरी रैपुरा चित्रकूट 4.पालेश्वर नाथ इण्टर कॉलेज कस्बा पहाड़ी चित्रकूट 5.राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज एलआईसी तिराहा के पास कर्वी चित्रकूट 6.सेठ राधाकृष्ण पोद्दार इण्टर कॉलेज शंख चौराहा चित्रकूट 7.श्री गंगा प्रसाद जन सेवा इण्टर कॉलेज शंकर बाजार कर्वी चित्रकूट का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान परीक्षा केन्द्र पर सुरक्षा व्यवस्था, अभ्यर्थियों के प्रवेश एवं निकास व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे, कक्षों की व्यवस्था तथा पुलिस बल की तैनाती का जायजा लिया गया।

उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस प्रशासन द्वारा परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

(6). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री श्याम प्रताप पटेल एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री पीयूष कुमार यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम सुश्री विदिशा भूषण द्वारा दिनाँक 11.03.2026 को कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 801/2019 धारा 279,427 भादवि के आरोपी अभियुक्त आरिफ खां पुत्र सुलेमान खां निवासी चौधरी मार्ग भरतगढ़ दतिया थाना दतिया मध्य प्रदेश को 2500/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(7). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री श्री श्रीप्रकाश यादव एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी अजय कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री पीयूष द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज सी0डी0 एफटीसी श्री अश्विनी द्वारा आज दिनाँक 11.03.2026 को थाना पहाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0 100/18 धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त भुल्लू कोरी पुत्र मुन्नीलाल निवासी सरैया थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 2500/- रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

(8). आज दिनांक 11.03.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में निरीक्षक श्री नरेश कुमार प्रजापति,आरक्षी रामविलास यादव व आरक्षी शिवम द्विवेदी थाना साइबर टीम द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा में साइबर जागरूकता अभियान चलाया गया।जिसमें लगभग 100 से 120 छात्र/छात्राओं को जागरूक किया गया।

इस जागरुकता कार्यक्रम के तहत सभी छात्र/छात्राओं को साइबर अपराध से बचाव हेतु जानकारी दी गयी जिसमें बचाव के प्रमुख बिन्दु निम्न है- 1.किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना अकाउंट विवरण व एटीएम कार्ड नम्बर व पिन नम्बर सी0वी0वी0 तथा ओटीवी नम्बर,एस0एम0एस0 न बताये। 2.एटीएम हमेशा अकेले प्रयोग करे व किसी अनजान व्यक्ति की मदद न लें। 3.अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी अनजान व्यक्ति को फोन,ई-मेल,एस0एम0एस0 फेसबुक,व्हाट्सएप पर कभी भी न दें। 4.आधार कार्ड,पैन कार्ड,राशन कार्ड,नयी सिम लेने के लिए कई बार फिंगर स्कैन न करें। 5.बोनस प्वाइंट,रिवार्ड प्वाइंट,कैशबैक,के0बी0सी0 आदि लुभावने ऑफर के लालच में अपना बैंक डिटेल फोन पर शेयर न करें। 6.किसी प्रकार का रिमोट एप्स जैसे टीमविवर,ऐनी डेक्स आदि किसी के कहने पर मोबाइल में इनस्टॉल न करें। 7. कम समय में पैसा डबल करने,क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर ज्यादा रिटर्न मिलने जैसे लुभावने स्कीम के लालच में न आयें। 8. फेसबुक,इस्टाग्राम,ब्लॉग,ट्विटर चैट रूम आदि जैसे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफार्म सोशल नेटवर्किंग साइटस पर अपनी निजी जानकारी जैसे घर का पता,फोन नम्बर,जन्मतिथि और जन्म स्थान आदि तथा वर्तमान लोकेशन कभी भी शेयर न करें। 9. पुलिस/साइबर अधिकारी के नाम की काल आने पर आपके बच्चे के द्वारा बलात्कार,किडनैपिंग का केस बता

कर या आपके द्वारा पोर्न विडियों देखने का आरोप लगाकर आपसे पैसे की मांग की जाये तो बिलकुल न घबराये, और न ही कोई पैसे भेजें। 10.साइबर अपराध की घटना होने पर टोल फ्री नं0 1930 पर तुरन्त कॉल करें। इसके पश्चात नजदीकी पुलिस स्टेशन और www.cybercrime.gov.in पर भी रिपोर्ट करने हेतु बताया गया।